

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग(उत्तराखण्ड), पशुधन भवन, मोथरोवाला-देहरादून।  
संख्या-1964 /नि.-5/एक(46)/पशु.संजी./2022-23 दिनांक 15 जुलाई, 2022.

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

**विषय:-** चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत नकुल स्वास्थ्य पत्र/पशुधन संजीवनी योजना (राज्य सैक्टर) में धनराशि स्वीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-796/XV-1/22-1(5)/2022, दिनांक 13 जुलाई, 2022, द्वारा नकुल स्वास्थ्य पत्र/पशुधन संजीवनी योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि ₹ 17.09 लाख के सापेक्ष पूर्व अवमुक्त धनराशि ₹ 5.70 लाख के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 11.39 लाख इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है को आपके निवर्तन पर प्रदिष्ट किया जाता है।

कृपया आवंटित धनराशि ₹ 11.39 लाख का उपयोग योजनान्तर्गत पूर्व आवंटित बजट पत्र संख्या-210/नि.-5/एक(46)/पशु.संजी./2022-23, दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-28 के अंतर्गत संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक/मानक मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।  
संलग्न-एलाटमेंट आई.डी.

भवदीय,

(महेश चन्द्र पन्त)  
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,  
कृते-निदेशक।

संख्या-1964 /नि.-5/एक(58)/आय-व्ययक/2022-23 उक्त दिनांक-  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साइवर कोषागार, देहरादून।
- 2- लेखा/पशुधन/संख्या शाखा, मुख्यालय।
- 3- पशु चिकित्साधिकारी, ग्रेड-1, एमआईएस, मुख्यालय को विभागीय बैवसाइड में अपलोड करने हेतु।
- 4- संयुक्त निदेशक, पशु प्रजनन, मुख्यालय।
- 5- मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून।
- 6- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग-1, सचिवालय-देहरादून।
- 7- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

(महेश चन्द्र पन्त)  
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,  
कृते-निदेशक।